VRS

सामान्य अध्ययन (टेस्ट - II)

GENERAL STUDIES (Test - II)

मॉड्यूल - II / Module - II

DTVF/18–M–GS2

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

नाम (Name): ANOOP MEENA

क्या आप इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं? | हाँ | ✓ | नहीं | |

मोबाइल नं. (Mobile No.):

ई-मेल पता (E-mail address):

टेस्ट न. एवं दिनांक (Test No. & Date): 2 ; Jan 2, 2018

रोल नं. [यू.पी.एस.सी. (प्रा.) परीक्षा-2018] [Roll.No. UPSC (Pre) Exam-2018]:

0	5	5	8	9	4	4

परीक्षा का माध्यम (Medium of Exam.): हिंदी

विद्यार्थी के हस्ताक्षर (Student's Signature): Anmeena

नोट: प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश अंतिम पृष्ठ पर संलग्न है।

Evaluation Analysis

सराहनीय प्रयास। इसे जारी रखें।

Criterion	Grade
Introduction	B
Context	A
Language	B+
Content	B+
Conclusion	B
Structure	B+
Current Link / Examples	B

MARKS: 64 /250

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

1. जाति पंचायतों द्वारा अपने 'सामानांतर न्यायिक आपूर्ति प्रणाली' (कंगारू कोर्ट) के माध्यम से संकीर्ण पुरातन प्रथाओं को बलात् मनवाने हेतु 'सामाजिक बहिष्कार एवं अन्य हिंसात्मक गतिविधियों की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में महाराष्ट्र प्रॉहिबिशन ऑफ पीपुल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट (प्रिवेंशन, प्रॉहिबिशन एंड रिड्रेस्सल) बिल, 2016 किस सीमा तक सहायक सिद्ध हो सकता है? (250 शब्द) 12.5

To what extent can Maharashtra Prohibition of People from Social Boycott (Prevention, Prohibition and Redressal) Bill, 2016 be helpful in curbing the rising tendency of 'social boycott and other violent activities', to forcibly embed the narrow traditional practices by Caste Panchayats through 'Parallel Justice Delivery System' (Kangaroo Court)? (250 words) 12.5

भारतीय समाज में जातिगत पदानुक्रम के कारण तथाकथित उच्च जातियों द्वारा बहिष्कार की पद्धति का अनुगमन किया जाता है यह वर्तमान 21वीं सदी के अधिकार आधारित दृष्टिकोण के विपरीत प्रतीत होता है

अच्छी शुरुआत

इस संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार ने लोगों के सामाजिक बहिष्कार को निषेधित करने हेतु अधिनियम प्रतिष्ठापित किया है इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएँ है –

→ इस अधिनियम ने सामाजिक बहिष्कार के सभी रूपों को निषेधित किया गया है

→ इस अधिनियम में सामाजिक बहिष्कार को संज्ञेय परंतु और जमानती अपराध के रूप में स्थापित किया गया है

→ इस अधिनियम में यह स्पष्टतः उल्लेखित है कि चार्जशीट दायर होने के 6 माह के भीतर सुनवायी अनिवार्यतः पूरी होनी चाहिए।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

→ इसमें एक अधिकार प्राप्त समिति की कल्पना भी की गयी है

उपर्युक्त प्रावधानों के आधार पर सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित व्यक्ति को कानूनी संरक्षण का प्रावधान रखा गया है इसलिए सामाजिक बहिष्कार की दर में कमी आयेगी।

यह तथाकथित उच्चवर्गीय समुदायों को जबरन शक्ति प्रयोग करने से निषेधित करता है

यह संवैधानिक उपबंधों की रक्षा करता है जैसे गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार (अनुच्छेद 21)

यह अंतरजातीय विवाहों के प्रचलन को बढ़ाकर जातिगत रूढ़ियों में कमी करेगा।

सर्वप्रमुखतया यह विधिक रूप से स्थापित होने के कारण भारतीय न्यायपालिका से संरक्षण प्राप्त करके मानवीय अधिकारों की रक्षा में सहायक होगा।

परंतु इसके समक्ष अनेक समस्याएँ भी हैं जैसे- सामाजिक बहिष्कार को न्यायालय में सिद्ध करने की जिम्मेदारी पीड़ित पर डाल दी गयी है; उस पर सामाजिक दबाव का असर भी मामलों की रिपोर्टिंग को हतोत्साहित करेगा।

प्रावधान के पूर्ण में ... के महत्व और ... स्पष्ट करें

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

समग्र रूप से यह कहना उपयुक्त है कि भारतीय संविधान के मूलाधिकारों व नीति-निदेशक को पूर्ण व आदर्श रूप में लागू करने के लिए ऐसे अधिकार आधारित कानूनों की आवश्यकता है यह समान नागरिक संहिता के साथ-साथ अन्य राज्यों व केंद्र ~~स्था~~ स्तर पर कानून निर्माण को प्रेरित करेगा।

4½

अच्छा प्रयास

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	¼	2	1½	¼	¼	¼	
Grade	C	B	B	C	B	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

2. आजादी के 70 सालों के उपरांत भी भारत ऐसी अनेक सामाजिक बुराइयों से जकड़ा हुआ है जो देश के सर्वांगीण विकास में अवरोधक सिद्ध हो रही हैं तथा स्वराज को सु-राज में बदलने की प्रक्रिया मंद है। उक्त संदर्भ में 'भारत छोड़ो आंदोलन-2' के निहितार्थ का परीक्षण करें। (250 शब्द) 12.5

Even after 70 years of independence, India is still constricted by such social evils which prove to be a roadblock in all-round development of the country and have slowed down the process of converting self-governance (Swaraj) into good-governance (Su-raj). In the context of above statement analyse the implications of Quit India Movement-2. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारतीय समाज एक पदानुक्रमित सामाजिक या स्तरण की व्यवस्था लिए हुए है जिसमें जाति, जन्म आदि के आधार पर व्यक्ति का स्तर निर्धारित होता है।

इस संदर्भ में भारत के समक्ष प्रमुख सामाजिक बुराई निम्नलिखित रूप में है-

→ संविधान में स्पष्ट उद्घोषणा के बावजूद अस्पृश्यता, छुआछूत का विद्यमान होना।

→ अल्पसंख्यकों पर धार्मिक - सांस्कृतिक असुरक्षा का भाव।

→ विशेष रूप से सुभेद्य जनजाति (PVTGs) का अस्तित्व।

→ उच्च मातृ व बाल मृत्यु दर ; बाल विवाह।

→ साक्षरता का निम्न स्तर।

→ ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से कुपोषण की भयावह स्थिति आदि।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

ये सभी परिस्थितियाँ भारतीय समाज को स्व-शासन व सर्वांगीण विकास में रोड़ा खड़ा करती है ये सहभागिता, समानता, सामाजिक न्याय जैसे आदर्श घटकों की प्राप्ति में समस्या उत्पन्न करती है।

इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन, अग्रलिखित रूपो में अपरिहार्य माना जा रहा है—

→ भारतीय राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र पारित करवाना चाहिए

→ मानव विकास सूचकांक में भारत का स्तर बढ़ाने हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार में संवर्धन करना होगा। इसलिए भारतीय शिक्षा नीति, मसौदा 2017, भारतीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उचित पालन करे।

→ रोजगार में वृद्धि करके सामाजिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसलिए कौशल भारत अभियान, राष्ट्रीय युवा नीति, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया को उचित प्रोत्साहन दें।

→ अल्पसंख्यकों के संदर्भ में हेट स्पीच व भीड़ द्वारा हत्या (मॉब लिंचिंग) को रोकने

विद्यमान बुराइयों के कारणों का और उल्लेख करें

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

हेतु राजनीतिक व प्रशासनिक स्तर पर दृढ इच्छाशक्ति की आवश्यकता है

→ अनुसूचित जाति व जनजाति के संदर्भ में अस्पृश्यता का निवारण करें।

जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार (PESA 1996), वनाधिकार अधिनियम 2006, 1989 का अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम का उचित क्रियान्वयन करें।

→ इन सामाजिक बुराई को दूर करने हेतु शीघ्रातिशीघ्र भारतीय विविधता के ध्यान रखते हुए समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) लाने का प्रयास करें। ताकि पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं को भी समानता मिले

उपर्युक्त कदमों से उठाकर भारत छोड़ो आंदोलन - 2 की संकल्पना को साकार किया जा सकता है.

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	1/4	2 1/2	2	1/4	1/4	1/4	
Grade	C	A	B	C	B	B	

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

3. 'वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट-2017' के अनुसार भारत में रोज़गार सृजन अपर्याप्त रहा है। यह देश में सामाजिक असमानता की खाई चौड़ी करने में कहाँ तक उत्तरदायी है? (250 शब्द) 12.5

According to 'World Employment and Social Outlook Report-2017,' the employment generation in India has remained inadequate. To what extent it is responsible for widening the gap of social inequality in India? (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट व सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2017 ने भारत में अल्प रोजगार सृजन हेतु निम्नलिखित कारकों को उत्तरदायी ठहराया है-

→ श्रम कानूनों में व्याप्त अति दृढ़ता।

→ कौशल के स्तर तथा बाजार की मांग के अनुरूप कौशल व श्रम की अनुपलब्धता।

→ भारत में विनिर्माण क्षेत्र की खस्ता स्थिति तथा कृषि व सेवा क्षेत्र में असंतुलन की स्थिति।

→ बैंकों की उच्च गैर निष्पादन कारी परिसंपत्ति के कारण घटता निजी निवेश का स्तर।

→ वैश्विक सूचकांकों में भारत की निम्न स्थिति विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में असफल रही है।

अल्प रोजगार सृजन भारत में सामाजिक असमानता में वृद्धि करने में सहायक की भूमिका निभा रहा है-

→ रोजगार का प्रत्यक्ष संबंध व्यक्ति की

भूमिका को और स्पष्ट करें।। रिपोर्ट से संबंधित आँकड़ों की और चर्चा करें।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

क्रय क्षमता में होता है जिससे उनके जीवन से संबंधित आवश्यक घटक जैसे उपभोग व्यय, स्वास्थ्य व शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा पर व्यय में कमी आती है।

→ इससे समाज के समृद्ध वर्ग के सापेक्ष उनके लिए संगठित क्षेत्र जैसे सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कमी होती है।

→ इससे उनकी कृषि पर पुनः निर्भरता बढ़ने से अनिश्चित स्थिति उत्पन्न होती है। इससे कुपोषण, कौशल की कमी के कारण वे बाजार में रोजगार की क्षमता के अनुरूप प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं।

→ यही नहीं रोजगार सृजन की कमी प्रवासन को बढ़ाकर शहरों में मलिन बस्तियों का पोषण करती है। इनमें वहाँ स्वास्थ्य, आवास व मनोरंजन की कमी रहती है एवं उनको सांस्कृतिक हमलों का सामना करना पड़ता है। इससे समाज के स्थानीय लोगों व शहरी लोगों में वैचारिक खाई बढ़ती है।

→ रोजगार सृजन में कमी से लोगों की आर्थिक रूप में अंतर्निर्भरता बढ़ने से पारिवारिक संघर्षों

को बढ़ावा मिलता है

परंतु केवल रोजगार का सृजन ही सामाजिक असमानता बढ़ाने हेतु उत्तरदायी नहीं। इस संदर्भ में अन्य उत्तरदायी कारक है – सरकारी कार्यक्रमों व नीतियों के क्रियान्वयन में कोताही बरतना; सामाजिक व सांस्कृतिक परानुक्रमों की उपस्थिति; वैश्वीकरण व पाश्चात्यीकरण के कारण पहचान के संकट से बढ़ते संघर्ष से भी यह असमानता की खाई बढ़ती है

अंततः विनिर्माण क्षेत्र को संवर्धित करके, बैंकों के NPAs को नियंत्रित करके, किसानों की आय में संवर्धन करके रोजगार सृजन में अल्पता को नियंत्रित किया जा सकता है

संबंधित उपायों को और स्पष्ट करें

3

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	·5	1	1	·5	·5	·5	
Grade	C	C	C	C	B	B	

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

5. भारत में पुलिस सुधार सबसे अपेक्षित परंतु सबसे विलंबित मुद्दों में से एक है। प्रकाश सिंह बनाम भारतीय संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में पुलिस सुधारों की तात्कालिकता की चर्चा करें। (250 शब्द) 12.5

Police Reforms in India are one of the most desired and yet the most delayed issues. In the wake of guidelines issued by the Supreme Court in Prakash Singh vs Union of India, discuss the urgency of Police Reforms. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

भारत में पुलिस विषय राज्य सूची का विषय है इसलिए भारत में राज्य स्तरों पर पुलिस व्यवस्था के संदर्भ में अंतर मिलता है।

पुलिस न्याय तक सुगम पहुँच व न्याय की आसान उपलब्धता में महती भूमिका निभाती है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ वाद में निम्नलिखित सुधार आमंत्रित किये —

[पुलिस सुधार से संबंधित अन्य समितियों उल्लेख करें]

→ सर्वप्रथम पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी को राजनीतिकतः निष्पक्ष रूप में 2 वर्षों हेतु नियुक्त करना चाहिए।

→ पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड की स्थापना करना जो नियुक्ति व जाँच की समीक्षा करेगा।

→ पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारियों को क्षेत्र विशेष में नियत न्यूनतम समय हेतु नियुक्त किया जाये।

यही प्रक्रिया थानेदार व कांस्टेबल के संदर्भ में भी अपनायी जा सकती है।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

→ केंद्र व राज्य स्तर पर पुलिस बोर्ड की नियुक्ति की जाये जिन्हे अधीक्षण की शक्ति प्राप्त हो।

→ पुलिस शिकायत निवारण आयोग की स्थापना की जाये ; जिसमें पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आयी जनशिकायतों की निष्पक्ष सुनवायी की जाये।

→ पुलिस के कठोर रवैये से निपटने हेतु उच्चतम न्यायालय ने एंटी टॉर्चर लॉ की भी अनुशंसा की।

→ तकनीकी का उचित इस्तेमाल करना तथा साइबर टीम का गठन भी करना।

ये सभी सुधार भारतीय पुलिस व्यवस्था में गतिशीलता उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हो सकते है। इन सुधारों की सहायता से पुलिस बल का राजनीतिकरण को नियंत्रित किया जा सकता है।

साथ ही पुलिस में राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति, जाँच आदि के स्तरों पर मानकों में समरूपता स्थापित होने

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

[समाधान के उचित उपायों को और स्पष्ट करें]

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

की संभावना है

इस संदर्भ में एकीकृत कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्यों से समुचित विमर्श करना चाहिए ताकि संघीय भावना बनी रहे एवं वर्तमान जरूरतों की पूर्ति भी हो जाये।

4

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	1/4	1/2	1/2	1/4	1/4	1/4	
Grade	C	B	B	C	B	B	

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

7. निःसंकोच 'लोकतांत्रिक मूल्य' किसी भी देश एवं समाज की प्रगति के बेहतर पैमाने होते हैं तथा भारतीय संविधान निर्माताओं ने बखूबी इसे एक जीवन दर्शन के रूप में स्थापित किया, तथापि आज भी राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना में इसका घोर अभाव दिखता है। विवेचना करें। (250 शब्द) 12.5

Undoubtedly, the 'Democratic Values' are better tools to assess the progress of a country and society and the makers of Indian constitution brilliantly established this as a philosophy of life. However, even today the internal structure of political parties grossly lacks them. Discuss. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

भारत में लोकतांत्रिक मूल्य अनेक स्तरों पर परीलक्षित होता है यह हमारे संविधान की प्रस्तावना, मूलाधिकार (राजनीतिक लोकतंत्र), नीति-निदेशक तत्वों (सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र) के रूप में परिलक्षित होता है

अच्छी शुरुआत

यही नही अनुच्छेद 326 में भारतीयों को मताधिकार प्राप्त है साथ ही मूलाधिकारों में संगठन बनाने का अधिकार है

भारतीय संसदीय व्यवस्था में बहुदलीय व्यवस्था का चयन किया गया है। यद्यपि निर्वाचन के स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्य विद्यमान है परंतु राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना में लोकतंत्र का अभाव है। जैसे—

→ राजनीतिक दलों का अध्यक्ष निर्वाचित न होकर उत्तराधिकार व व्यक्तित्व के आधार पर होना।

→ टिकटों व सीटों का वितरण भी व्यक्तित्व की प्रभावशीलता के आधार पर

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

होना।

→ राजनीतिक दल के चुनावी एजेंडे पर व्यक्तित्व का हावी होना।

इस संदर्भ में अनेक समस्या उत्पन्न होती हैं जिसे पार्टी का एजेंडा पूरे देश का प्रतिनिधित्व न करके व्यक्ति विशेष या समूह विशेष का प्रतिनिधित्व करता है।

यही नहीं यह स्थानीय प्रभावशाली नेताओं के उन्नयन को भी प्रतिबंधित करता है, साथ ही यह राजनीतिक दल के वित्तपोषण में कालेधन के प्रवाह संबंधित संभावनाओं को जटिलता प्रदान करता है।

राजनीतिक दलों मे लोकतंत्र की स्थापना हेतु निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं जैसे–

→ राजनीतिक दलों के पदों की नियुक्ति हेतु स्पष्ट नियमावली बनाना।

→ इनके आंतरिक चुनाव हेतु किसी तृतीय पक्ष द्वारा चुनाव आयोजन कराना।

→ भारतीय चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों पर अधीक्षण शक्ति का संवर्धन करना।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

→ राजनीतिक दलों को स्वयं आचरण व नीति संहिता का अनुसरण करते हुए दल व्यवस्था को अपनाना चाहिए।

राजनीतिक दलों में आंतरिक चुनावों से दलगत विभाजन, राष्ट्रीय ऐजेंडे का निर्माण की कमी, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय मुद्दों में संघर्ष, वित्तपोषण संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

4½

अच्छा प्रयास

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	¼	2	1½	¼	¼	¼	
Grade	C	B	B	C	B	B	

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

9. वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर भी इसकी सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं है। विवेचना करें। (250 शब्द) 12.5

Finance Commission as a Constitutional body plays an important role in balancing the fiscal federalism, even then its recommendations are not binding in nature. Discuss. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है

यह निम्नलिखित रूप से राजकोषीय संघवाद को संतुलित करता है—

→ राज्यों व केंद्रों के मध्य उचित कर विभाजन करके।

→ कर वितरण के संदर्भ में उचित सिद्धांतों का निर्माण करके। जैसे → जनसंख्या, क्षेत्रफल, वनस्पति आवरण आदि।

→ यह केंद्र-राज्य एवं राज्यों के मध्य भी समरूपता स्थापित करने में मदद करता है

→ यह केंद्र व राज्यों की आय के स्रोतों में संवर्धन करने, घाटों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

निम्नलिखित कारणों से इसकी अनुशंसा बाध्यकारी नहीं हैं—

भूमिका को और प्रभावी लिखें

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

→ संसद की वित्तीय स्वायत्ता।

→ सरकार के सीमित आर्थिक आर्थिक स्रोत।

प्रश्न के सभी पक्ष पर और चर्चा करें

(1½)

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

12. लोकसभा तथा राज्य विधानसभा चुनावों में भारतीय मतदाताओं का मतदान व्यवहार भिन्न-भिन्न कारकों द्वारा संचालित होता है तथा दोनों जगह साथ-साथ चुनाव होने की स्थिति में क्षेत्रीय मुद्दे पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। समालोचनात्मक परीक्षण करें। (250 शब्द) 12.5

The electoral behaviour of voters is driven by different factors in the elections to the LokSabha and State Assembly, and by conducting simultaneous elections for both, regional issues will fade into the background. Critically examine. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

भारत में लोकसभा व विधानसभाओं हेतु एकल प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र तथा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया है।

भारत में मतदाताओं का व्यवहार निम्नलिखित कारकों द्वारा नियंत्रित होता है—

→ जातिगत एवं धार्मिक समीकरण भारत में मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने हेतु पर्याप्त रूप में सहायक हैं यद्यपि यह संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। यह अभिवृत्ति उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनावों में परिलक्षित हुई।

→ दक्षिण भारतीय राज्यों में भाषायी चुनाव, तमिल मुद्दा प्रमुख प्रभावी कारक है।

→ उत्तरी-पूर्वी भारत में नृजातीय विविधता मतदाताओं के व्यवहार को प्रेरित करती है। यह मुख्यतः हितों से प्रेरित होता है

→ गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विकासात्मक मुद्दों के साथ-साथ जातीय कारकों की पर्याप्त भूमिका रही है

लोकतंत्र में चुनावों के महत्व के संदर्भ में भूमिका को और स्पष्ट करें।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

→ मुस्लिम अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण भी प्रमुख कारक है।

→ राजनीतिक दलों में उभरते करिश्माई नेतृत्व ने भी सभी परिस्थितियों के विपरीत मतदान व्यवहार को प्रभावित किया है।

हाल में विधि आयोग एवं उच्च स्तरीय संसदीय पैनल ने लोकसभा व विधानसभा के एक साथ चुनाव कराने की अनुशंसा की। परंतु यहाँ समस्या अनेक रूपों में विद्यमान है।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर हावी होने की संभावना बढ़ती है जिससे राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्यंभावी है। जैसे स्थानीय प्रतिनिधि राष्ट्रीय मुद्दों की अवहेलना करते हुए क्षेत्रीय मुद्दों की तर्ज पर चुनाव लड़ेंगे। जैसे तमिल मुद्दा, भाषायी विवाद आदि।

यही नहीं इससे भाषायी संरक्षण, जनजातीय कल्याण, विकासात्मक मुद्दों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

एकसाथ चुनावों के अतिरिक्त प्रभावों

क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में और चर्चा करें

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

के रूप में जवाबदेहिता में कमी; संघीय भावना के प्रतिकूल स्थिति; एक साथ आयोजन में व्यापक मशीनरी व धन उपलब्धता की कमी जैसी समस्या आ सकती है।

परंतु इससे अभिशासनगत सुधार, आदर्श आचार संहिता के प्रभाव, दीर्घकालिक नीति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

दोनों पक्षों पर चर्चा करें

4

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	1/4	1½	1½	1/4	1/4	1/4	
Grade	C	B	B	C	B	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

13. वर्तमान में भारतीय न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों की विवेचना करें एवं इसके निवारण हेतु मौलिक उपाय सुझाएँ। (250 शब्द) 12.5

Discuss the discrepancies prevalent in the present Indian Judicial System and suggest the remedies to redress the same. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारतीय न्यायिक व्यवस्था एकीकृत रूप लिए है जिसमें सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है।

भारतीय न्यायिक व्यवस्था की निम्नलिखित विसंगति है—

→ न्यायिक नियुक्तियों की अपारदर्शी व अलोकतांत्रिक कॉलेजियम प्रणाली।

→ न्यायपालिका की बढ़ती अतिसक्रियता ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को हानि पहुँचाना।

→ न्यायिक विधायन की बढ़ती प्रवृत्तियाँ।

→ न्याय आरोपित महाभियोग की बढ़ती संभावना (जस्टिस कर्नन वाद)।

→ न्यायपालिका में लंबित वाद एवं न्याय की प्राप्ति में देरी।

→ न्यायिक विषयों व कानूनों का वैज्ञानिक निकरण नहीं होना।

→ ढेर सारी बैकलॉग।

→ अधिकरणों द्वारा न्यायपालिका को प्रतिस्थापित करने की संभावना।

भूमिका को और प्रभावी लिखें।

न्यायिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि और चर्चा करें।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

→ समाज के पिछड़े वर्गों तक न्याय की पहुँच व उपलब्धता में कमी।

→ जाँच प्रक्रिया के संदर्भ में बढ़ते राजनीतिकरण से विवाद बढ़ना।

इनके निवारण हेतु निम्नलिखित सुझाव आमंत्रित हैं—

→ कॉलेजियम व्यवस्था को किसी लोकतांत्रिक नियुक्तिगत प्रक्रिया से प्रतिस्थापित करना। जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। यद्यपि इसमें न्यायिक प्रधानता व शक्ति पृथक्करण को ध्यान में रखना चाहिए।

→ मध्यस्थता व सुलह की संस्कृति को बढ़ाकर न्यायिक भार को कम करना। (जस्टिस बी० एन श्रीकृष्णा समिति)

→ सूचना व संचार तकनीक का प्रयोग करके टेली लॉ, न्यायमित्र योजना, प्रो बोनो लीगल जैसी अन्य योजना लाना।

→ विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति में संशोधन करना।

→ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करना। इससे उच्च प्रतिभा चयन, मानकों

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

में एकरूपता स्थापित की जा सकती है।
→ समानांतर न्याय प्रणाली को नियंत्रित करना।
→ अन्य कदमों के रूप में वकीलों की हड़तालों पर नियंत्रण, मामलों का वैज्ञानिक वर्गीकरण, पुलिस सुधार, समय पर न्यायिक नियुक्ति आदि को अपनाया जा सकता है।

उपर्युक्त सुधारों के माध्यम से लोगों तक न्याय की आसान पहुँच स्थापित की जा सकती है एवं अतिन्यायिक सक्रियता को नियंत्रित किया जा सकता है

5

अच्छा प्रयास

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	1/4	2	2	1/4	1/4	1/4	
Grade	C	B	B	C	B	B	

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

14. 'व्हिसिलब्लोअर संरक्षण अधिनियम-2014' के अभिलक्षणों की चर्चा करें। (250 शब्द) 12.5

Discuss the provisions of Whistleblowers Protection Act, 2014. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

व्हिसिलब्लोवर से तात्पर्य है पारदर्शिता व जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने हेतु किसी व्यक्ति द्वारा संस्थान या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में निहित भ्रष्टाचार व अवैध गतिविधियों को उजागर करना।

अच्छी शुरुआत

भारत में व्हिसिलब्लोवर संरक्षण अधिनियम 2014 के निम्नलिखित अभिलक्षण है—

→ व्हिसलब्लोवर अधिनियम के तहत किसी सूचना को उजागर करने वाले व्यक्ति को सरकारी कार्यालय गुप्तता अधिनियम (OSA) 1923 से पूर्ण अमुक्ति होगी। अर्थात् उसे इस आधार पर हिरासत में नहीं लिया जा सकता कि उसने उक्त अधिनियम की अवहेलना की है।

→ इस अधिनियम में व्हिसिलब्लोवर की गोपनीयता को संरक्षित करने का पूर्ण प्रावधान किया गया है। गोपनीयता को उजागर करने वाले के खिलाफ उपर्युक्त कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है।

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

→ सूचना अधिकार अधिनियम की धारा-8 (सूचना देने से मनाही) आंशिक रूप में ही लागू होगी।

→ राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता आदि के अतिरिक्त किसी भी सूचना के देने से मना ही नहीं की जा सकती है

→ व्हिसिल ब्लोवर किसी सक्षम अधिकारी से सहायता मांग सकता है वह सक्षम अधिकारी जरूरत पड़े तो CBI या पुलिस सहायता ले सकता है सक्षम अधिकारी को दिवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगा।

समग्र रूप में यह अधिनियम व्हिसिलब्लोवर के पूर्ण संरक्षण व गोपनीयता की रक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा व संप्रभुता जैसे संवेदनशील विषयों में सामंजस्य बिठाने में सफल हो सकता है।

संबंधित उदाहरणों की ओर चर्चा करें।

परंतु हाल में कुछ और जरूरी संशोधन करके इस अधिनियम को कमजोर बनाने का प्रयास किया गया है जैसे- व्हिसिलब्लोवर किसी सूचना की प्राप्ति RTI से

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

ही प्राप्त करें; RTI की धारा-8 में आने वाली संवेदनशील सूचना से मनाही; सिक्रेसी एक्ट 1923 की अवहेलना पर 14 वर्ष की सजा आदि।

अतः राष्ट्रीय महत्व के विषयों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए 2014 के व्हिसलब्लोअर अधिनियम को मूल रूप में बनाए रखना चाहिए ताकि वांछित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

4

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	1/4	1/2	1/2	1/4	1/4	1/4	
Grade	C	B	B	C	B	B	

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

15. आज़ादी के 70 सालों के बाद भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय जिन समस्याओं से ग्रसित हैं, क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग उनका समाधान करने में असफल रहे हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Have National Commission for Scheduled Castes and Nation Commission for Scheduled Tribes failed to redress these problems faced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes even after 70 years of independence. Provide arguments in support of your answer. (250 words) 12.5

भारत में आजादी के बाद संविधान में समानता, सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान किया गया था परंतु इन्हें अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है।

∴ अनुसूचित जाति व जनजातियों की निम्नलिखित समस्या हैं—

संबंधित आयोगों के कार्यों को स्पष्ट करें

→ सामाजिक असमावेशन। जैसे अस्पृश्यता का शिकार।
→ स्वास्थ्यगत समस्या जैसे सिकिल सेल एनीमिया, कुपोषण आदि।
→ शिक्षा का निम्न स्तर।
→ उच्च मातृ व बाल मृत्यु दर।
→ मैन्युअल स्कैवेंजिंग।
→ अल्प राजनीतिक प्रतिनिधित्व।
→ निम्न जीवन स्तर व मानव विकास सूचकांक।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

→ जनजातीय क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलन

1990 के दशक में अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का गठन किया।

→ अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1976 व एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के समुचित क्रियान्वयन में सहायता करते हुए अनुसूचित जाति व जनजाति का सामाजिक समावेशन बढ़ाने में सहायता की है

→ ST आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के विस्तार अधिनियम (PESA) तथा वनाधिकार अधिनियम के निर्माण में महती भूमिका निभायी है ताकि उनकी आर्थिक व सामाजिक समावेशन के साथ-साथ राजनीतिक सशक्तिकरण बढ़े।

आयोगों की असफलता के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट करो

→ विशेष सुभेद्य जनजातियों (PVTGs) के क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट की व्यवस्था बनाकर बाहरी लोगों के हस्तक्षेप को नियंत्रित किया है

→ अनुसूची 6 व अनुसूची 5 का उचित क्रियान्वयन

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

→ सरकारी योजनाओं जैसे स्टैंडअप इंडिया, TYEP (ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम), मंजिल आदि का उचित क्रियान्वयन करके रोजगार में भागीदारी बढ़ाना।

→ SC आयोग की सहायता से मैन्युअल स्कैवेंजिंग विधेयक का निर्माण किया गया है

→ जनजातियों में साक्षरता के स्तर को बढ़ाने हेतु आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है

4

उपर्युक्त सफलताओं के बावजूद इनमें उच्च मातृ व शिशु मृत्यु दर, बाह्य सांस्कृतिक हस्तक्षेप से उत्पन्न पहचान का संकट, मैन्युअल स्कैवेंजिंग की समस्या अभी भी विद्यमान है

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	1/4	1/2	1/2	1/4	1/4	1/4	
Grade	C	B	B	C	B	B	

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

16. क्या भारत की क्षेत्रीय अखंडता के समक्ष गंभीर चुनौती बनते जा रहे जम्मू-कश्मीर राज्य में जारी हिंसक प्रदर्शनों के समाधान के लिये इस राज्य की विशेष प्रास्थिति में संशोधन किये जाने की ज़रूरत है? भारत एवं जम्मू-कश्मीर राज्य के मध्य वर्तमान सवैधानिक संबंधों के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करें। (250 शब्द) 12.5

Whether the special status given to the state of J&K needs to be amended to solve the violent demonstration prevalent in Jammu & Kashmir which is posing the serious challenge to territorial integrity of India, Give your opinion on the basis of present constitutional relations between India and the State of Jammu & Kashmir. 12.5 (250 words)

जम्मूकश्मीर के भारत में विलय के उपरांत से ही सीमापार आतंकवाद व विदेश। प्रेरित अलगाववाद की समस्या प्रमुखता से रही है

इस समस्या हेतु प्रमुख उत्तरदायी कारक ऐतिहासिक (भारत का विभाजन); राजनीतिक भागीदारी मे श्रीनगर की अवहेलना; अल्प आर्थिक विकास, आतंकवाद व जनसांख्यिकी संगठन है

अच्छी शुरुआत

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 A एवं अनुच्छेद 370 जम्मूकश्मीर से संबंध है।

→ अनुच्छेद 35 (A) जम्मूकश्मीर के स्थायी नागरिकों की परिभाषा को परिभाषित करता है। यह बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने, आवास आदि के साथ शैक्षणिक प्रवेश को ~~प्रतिबं~~ प्रतिबंधित करता है

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

→ अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर का अपना सांविधानिक प्रावधान, राजकीय ध्वज, संसदीय व राष्ट्रपति की शक्तियों का जम्मू कश्मीर के संबंध में सीमांकन को चिन्हित करता है।

जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 35 A में संशोधन करना जरूरी है क्योंकि यह भारतीय संविधान के मूलाधिकारों समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्र विचरण के विपरीत है साथ ही यह जम्मूकश्मीर के संदर्भ में संसदीय की संशोधन क्षमता को सीमित करता है

इस अधि अनुच्छेद में संशोधन इस रूप में करें ताकि कश्मीर में जनसांख्यिकी परिवर्तन न हो एवं अविश्वास न बढ़े जैसे- शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, विधानसभा व स्थानीय निकायों में सभी की भागीदारी, संपत्ति खरीदने की अनुमति। इससे लाभ यह होगा कि -

→ लोगों की गतिशीलता बढ़ने से अविश्वास कम होगा।

→ जम्मूकश्मीर का आर्थिक विकास प्रेरित होगा।

→ सीमापार आतंकवाद व अलगाववाद पर नियंत्रण होगा।

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

• जम्मू कश्मीर विधान सभा के अनुमोदन से अनुच्छेद 370 में संशोधन करना चाहिए। जैसे - अलगाववादी गतिविधियों एवं आतंकवाद नियंत्रण हेतु संसद व कार्यपालिका के अधिकार बढ़ाना आदि; केंद्रीय नियमों का बिना विधानसभा के अनुमोदन के लागू करना।

इसका लाभ यह होगा कि कश्मीर कल्याणकारी व मानवोचित कार्यक्रमों के संदर्भ में शेष देश से जुड़ सकेगा एवं विधायी - कार्यपाली कार्यों में समरूपता स्थापित होगी। केंद्रीय अनुदान भी बढ़ेगा।

अतिरिक्त उपायों के रूप में सशस्त्र बल अधिनियम (अफस्पा) का मानवीकरण करना, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायक्षेत्र बढ़ाना आदि हो सकते हो

युवकों को शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य जैसे उपाय (नयी मंजिल,) आदि भी अपनाये जा सकते है

अनुच्छेद 370 में बदलाव को पक्ष विपक्ष दोनों रूप में स्पष्ट करें

5½

अच्छा प्रयास

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	1/2	2½	2	1/4	1/4	1/4	
Grade	A	A	B	C	B	B	

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

17. ग्रामीण क्षेत्रों के उपेक्षित समुदायों और निवासियों को मुख्यधारा की सुलभ कानूनी सहायता उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा शुरू किये गए 'टेली-लॉ कार्यक्रम' के मुख्य अभिलक्षणों पर प्रकाश डालिये। (250 शब्द) 12.5

Highlight the Key features of 'Tele-law' programme launched by the government to provide accessible mainstream legal services to underprivileged communities and residents of rural areas. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति-निदेशक तत्वों में अनु॰ 39 में नागरिकों तक आसान रूप में न्याय की पहुँच व उपलब्धता का प्रावधान किया गया है

इस संदर्भ में प्रो बोनो लीगल सर्विस, न्यायमित्र योजना एवं टेली लॉ कार्यक्रम प्रमुख हैं।

अच्छी शुरुआत

→ टेली लॉ कार्यक्रम का संचालन विधि मंत्रालय तथा इलैक्ट्रॉनिक व तकनीकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है

→ इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत के दूरदराज क्षेत्रों में न्याय की आसान पहुँच बनाते हुए सामाजिक न्याय व न्यायिक समावेशन स्थापित करना।

→ इस कार्यक्रम में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से टेली लॉ पोर्टल की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील, न्यायाधीश व न्यायिक विशेषज्ञ

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

जरूरतमंदों तक न्यायिक पहुँच बढ़ायेंगे।

→ इसमें तकनीकी सहायता सचिवी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक व तकनीकी मंत्रालय देगा तथा न्यायिक विशेषज्ञ आदि के लिए फीस का प्रबंधन विधि मंत्रालय करेगा।

→ टेली लॉ कार्यक्रम में दीवानी व फौजदारी दोनों तरह के मामले सुने जा सकते है साथ ही इसमें न्यायिक अपील की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

संबंधित चुनौतियों को और स्पष्ट करें

→ इस कार्यक्रम में वादी – प्रतिवादी के एक साथ उपस्थित होने को भी वैकल्पिक स्वरूप प्रदान किया गया है

→ टेली- लॉ कार्यक्रम में न्यायिक आदेश दोनो पक्षों हेतु बाध्यकारी होंगे।

समग्र रूप में यह कार्यक्रम भारत के न्यायालयों में बैकलॉग की समस्या के समाधान एवं न्याय की भौगोलिक विविधता के समाधान में सहायक भूमिका निभाएगा। एवं लोकतांत्रिक व न्यायिक व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ायेगा।

4½

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

18. यद्यपि सरकार द्वारा 'बाल यौन दुर्व्यवहार' की रोकथाम हेतु कई पहलें की गई हैं। तथापि हाल के दिनों में 'ऑनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री' की बढ़ती उपलब्धता ने इस समस्या को अधिक विकृत बना दिया है। इस संदर्भ मे सरकार के प्रयासों की चर्चा करें तथा इसके समाधान हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करें। (250 शब्द) 12.5

Though the government has taken several initiatives to prevent 'Child Sexual Abuse'. However, in recent times, the increasing availability of 'Online Material Related to Child Sexual Abuse' has made the problem even more distorted. In this context, discuss the steps taken by the government and suggest measures to solve the problem. (250 words) 12.5

बाल यौन दुर्व्यवहार को नियंत्रित करने हेतु यौन शोषण रोधी अधिनियमों, का सरकार द्वारा निर्माण किया गया है इस संदर्भ में प्रमुख पहल है—

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संदर्भ मे व्हाइट पेपर जारी करना।
- बाल यौन शोषण अधिनियम।
- अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक पोर्टलो का निर्माण।

संबंधित तथ्यों को और स्पष्ट करें।

ऑनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहारी सामग्री के बढ़ने के निम्नलिखित कारण है— जिससे समस्या की विकृति बढ़ी है—

→ सूचना अधिनियम मे स्पष्ट प्रावधान न होना।
→ विधिक व संस्थागत ढाँचे का अभाव होना।
→ ऑनलाइन यौन व्यापार, फोटो शेयरिंग, सेक्सुअल ब्लैकमैलिंग की बढ़ती प्रवृत्तियाँ।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

- कंपनियों के सर्वरों की भारत में अनुपस्थिति के कारण सरकार की नियामकीय शक्ति में कमी।

इस संदर्भ में सरकार निम्नलिखित प्रयास कर रही है–

→ राज्य व केंद्रीय स्तर पर साइबर समन्वय एजेंसियों की स्थापना करना।

→ स्वतः सत्यापन व सूचनाओं को फिल्टर करने हेतु सेवा प्रदाता कंपनियों को निर्देशित करना।

→ 18 से कम उम्र के लोगों पर विशेष निगरानी। जैसे- सूचना वितरण, लोगों से संबंध।

→ राज्य व केंद्र स्तर पर जाँच एजेंसियों की क्रियाशीलता बढ़ाना।

→ भारतीय दंड संहिता में इसको शामिल करने हेतु संसदीय समिति का गठन करना।

समग्रतः IT एक्ट में प्रावधान करके सरकार ऐसे अपराधों पर नियंत्रण कर सकती है

POCSO के संदर्भ में चर्चा करें

ऑनलाइन सामग्री के संदर्भ में और चर्चा करें

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

4

साथ ही यौन अपराध के संदर्भ में CERT-IN जैसी विशिष्ट संस्था की स्थापना भी करनी चाहिए।

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	1/4	1/2	1/2	1/4	1/5	1/4	
Grade	C	B	B	C	B	B	

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

19. विशिष्ट लक्ष्य समूहों के आहार में महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्वों की कमी सार्वभौमिक रूप से विद्यमान है जिसकी पहचान के लिये 'भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने एक पैनल का गठन किया है। भारत में कुपोषण की स्थिति के संदर्भ में उक्त कथन का विवेचन करें एवं इसके समाधान के रूप में 'फूड फोर्टीफिकेशन' की भूमिका का परीक्षण करें। (250 शब्द) 12.5

The deficiency of vital nutrients in diet of specific targeted groups is present universally and Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has constituted a panel to identify it. Discuss the above statement in the context of condition of malnutrition in India and examine the role of 'food fortification' as a solution to this problem. (250 words) 12.5

ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के 97th वीं स्थिति भारत में पोषक तत्वों की कमी को स्पष्ट उल्लेखित करती है

भारत में अल्प पोषण के कारण ही चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, जैसी समस्या के साथ-साथ एनीमिया जैसी समस्या पायी जाती है

कुपोषण से संबंधित तथ्यों को और स्पष्ट करें

यही नहीं प्रसव अवस्था के समय पोषक तत्वों की कमी का प्रभाव शिशु पर पड़ता है एवं यह बाल मृत्यु दर तथा मातृ मृत्युदर को बढ़ाती है

भारत में दक्षिण एशिया में सर्वाधिक व विश्व में तीसरे सर्वाधिक कुपोषित व्यक्ति मिलते है

यही नहीं इसका प्रभाव मानव विकास सूचकांक पर भी पड़ता है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

फूड फोर्टिफिकेशन से तात्पर्य है खाद्य पदार्थों में कृत्रिम रूप से पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाना। यह थेरेप्यूटिक फूड की अवधारणा का ही विस्तार है

फूड फोर्टिफिकेशन की अवधारणा से आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाकर ~~सामान्य~~ कुपोषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है जैसे —

→ विद्यालयों में फूड फोर्टीफाइड भोजन को मिड-डे-मील जैसी योजना में लागू करना। राजस्थान में फूड-फोर्टीफाइड खाद्य तेल इसका प्रमुख उदाहरण है

→ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से चावल, गेहूँ, दाल को फोर्टीफाइड करके लोगों तक पहुँचाना। जैसा कि पश्चिम बंगाल व छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है

→ यह पोषक तत्वों की क्षेत्रीय विषमता को कम कर सकता है। इसलिए ~~भारतीय~~ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ इसे संबद्ध करना चाहिए।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Drishti The Vision Foundation

→ मातृत्व / जननी सुरक्षा योजना, एकीकृत बाल विकास योजना से भी इसे संबद्ध कर प्रसव के समय माता को पोषक तत्व युक्त भोजन प्रदान करना ताकि शिशु व माता पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

→ फूड-फोर्टीफाइड युक्त खाद्य पदार्थों की लेबलिंग करके व मानक स्थापित करके लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा सकता है

समग्र रूप में फूड फोर्टीफाइड भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स तथा राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो की रिपोर्ट में सकारात्मक सुधार करने में सहायता कर सकता है।

[5½]

[अच्छा प्रयास]

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	1/4	2½	2	1/4	1/4	1/4	
Grade	C	A	B	C	B	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

20. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान' के एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार भारत मानसिक अस्वस्थता के गंभीर खतरे की ओर बढ़ रहा है। उक्त कथन की व्याख्या करें तथा इसके निवारण में 'मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा बिल' की भूमिका का परीक्षण करें। (250 शब्द) 12.5

According to a recent survey conducted by 'National Institute of Mental Health and Neuro Sciences', India is heading towards serious risk of mental illness. Discuss the above statement and examine the role of 'Mental Health Care Bill' in redressing this problem. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

भारतीय मानसिक स्वास्थ्य व तंत्रिका विज्ञान संस्थान द्वारा किये गये सर्वेक्षण में भारतीयों में बढ़ते मानसिक अस्वास्थ्यता के स्तर को इंगित किया गया है।

अच्छी शुरुआत

जैसे –

- भारतीय युवा मानसिक अस्वस्थता विशेषरूप से ग्रसित है।
- शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में यह तीव्रता से प्रसारित है।
- भारत में बढ़ती शारीरिक निष्क्रियता, आर्थिक दबाव के कारण इसका स्तर बढ़ता जा रहा है।

इस संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा बिल 2017 प्रस्तुत किया गया था। जो मानसिक अस्वस्थता से निपटने में सहायता देगा —

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

→ मानसिक स्वास्थ्य विकास आयोग की स्थापना करके उसे मानक स्थापना, प्रक्रिया निर्धारण मे सहायता से करना।

→ सभी अस्पतालों मे मनोवैज्ञानिकों की उपस्थिति को अनिवार्य बनाना।

→ इलेक्ट्रोपलसिव थैरेपी को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाना क्योंकि यह मानसिक स्थिति व तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालती है

संबंधित तथ्यों को स्पष्ट करें।

→ इस बिल मे मानसिक रोगी के संदर्भ मे स्थिति के जाँच हेतु एक समिति का प्रावधान भी किया गया है जो प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करेगी एवं आवश्यक निर्देश देकर समस्या समाधान मे सहायक होगी

→ इसमें परिजनों के उत्तरदायित्व को भी स्पष्ट किया गया है साथ ही इस बिल में मानसिक पीड़ितों हेतु पृथक पुनर्वास केंद्रों का प्रावधान है

→ इसमे पृथक वित्तपोषण के प्रावधान व साधन भी उल्लेखित है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

4

→ इस बिल में अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर उन्मुख है

→ मानसिक चिकित्सा हेतु यह अपरिहार्य किया गया है कि वह मरीज को वस्तुस्थिति की परिजनों व समिति को सूचना दें। व मानकों का पालन करें।

यद्यपि यह बिल उचित प्रावधानों से युक्त है परंतु अल्प वित्त पोषण, समिति की प्रधानता आदि से इसकी प्रासंगिकता थोड़ी धुँधली प्रतीत होती है

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	1/4	1/2	1	1/4	1/4	1/4	
Grade	C	B	C	C	b	B	

Feedback

Questions ....

Model Answer & Answer Structure ....

Evaluation ....

Staff ....

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

रफ कार्य के लिये स्थान

(Space for Rough Work)

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation